दिल्ली विधान सभा
DELHI LEGISLATIVE ASEMBLY

आचरण समिति
ETHICS COMMITTEE

पहला प्रतिवेदन
FIRST REPORT

दिनांक 27 अगस्त, 2013 को प्रस्तुत

PRESENTED IN THE HOUSE ON27th August, 2013

विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

DELHI LEGISLATIVE ASEMBLY

ETHICS COMMITTEE

Constitution of Committee

1.	Dr. Narender Nath,	Chairman
2.	Sh. Mukesh Sharma	Member
3.	Sh. Nand Kishore	Member
4.	Sh. Vipin Sharma`	Member
5.	Ch. Matin Ahmad	Member
6.	Dr. Harsh Vardhan	Member
7.	Sh. O.P. Babbar	Member
8.	Sh. Ravinder Nath Bansal	Member
9.	Sh. Ram Singh Netaji	Member

Secretariat

1.	Sh. P.N. Mishra	Secretary
2.	Smt. Poonam	Dy. Secretary
3.	Sh. Lal Mani	Dy. Secretary

दिल्ली विधान सभा

आचरण समिति

का

प्रथम प्रतिवेदन

अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा ने सामान्य प्रयोजन समिति की सिफारिश पर पहली बार दिनांक 29, जनवरी, 2010 को दिल्ली विधान सभा की आचरण समिति का गठन किया। इसमें सभापति सहित नौ सदस्य थे। उसके बाद प्रत्येक वर्ष समिति का पुनर्गठन किया जाता रहा। वर्तमान में आचरण समिति का स्वरूप निम्नानुसार है:

1.	डॉ. नरेन्द्र नाथ	सभापति
2.	श्री मुकेश शर्मा	सदस्य
3.	श्री नन्द किशोर	सदस्य
4.	श्री विपिन शर्मा	सदस्य
5.	चौ. मतीन अहमद	सदस्य
6.	डॉ. हर्षवर्द्धन	सदस्य
7.	श्री ओ.पी.बब्बर	सदस्य
8.	श्री रवीन्द्र नाथ बंसल	सदस्य
9.	श्री राम सिंह नेताजी	सदस्य

2. आचरण समिति एवं तत्पश्चात् सदन की नियम समिति के अनुमोदन के बाद इस समिति के गठन, कार्यपणाली एवं प्रक्रिया संबंधी नियम सदन द्वारा 31.3.2010 को स्वीकार किये गये।

3. दिल्ली विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम-235 ख में यह आवश्यक है कि आचरण समिति सदन के सदस्यों के लिये आचार संहिता बनाये। सुविधा के लिये उक्त नियम का संबंधित अंश प्रस्तुत है:-

नियम-235-ख समिति के कार्य

समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:

(i) ----------

(ii) ----------

(iii) नियम बनाकर ऐसे कार्यों का विशेषोल्लेख करना,जो अनैतिक आचरण के अन्तर्गत आते हैं।

4. विधान सभा सचिवालय ने लोक सभा, राज्य सभा एवं सभी विधान मंडलों और देश के संघ राज्य क्षेत्रो को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि यदि उनके यहां आचरण समिति का गठन हुआ है तथा उन्होंने अपने सदस्यों के आचरण से संबंधित नियम बनाये हों तो उसकी प्रति दिल्ली विधान सभा को भेजें। राज्य सभा सचिवालय,केरल,मिजोरम,उड़ीसा,असम,झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ विधान मंडलों ने अपने सदस्यों के लिये बनायी गई आचार संहिता की प्रति उपलब्ध कराई। दिल्ली विधान सभा की आचरण समिति ने इन विधान मंडलों से प्राप्त आचार संहिता का अध्ययन किया और इनमें से कुछ राज्यों का अध्ययन दौरा भी किया ताकि वहां की आचरण समितियों द्वारा लागू आचार संहिता के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त हो

सके। राज्य सभा एवं अन्य राज्यों से प्राप्त आचार संहिता की प्रतियां दिल्ली विधान सभा की आचरण समिति के सदस्यों को उनके अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ वितरित की गई।

5. विभिन्न राज्यों की आचार संहिता में सम्मिलित सामान्य आचरण सिद्धान्तों के आधार पर इस सदन के सदस्यों के लिये आचार संहिता का प्रारूप तैयार किया गया एवं इसे आचरण समिति के सभी सदस्यों को समिति की दिनांक 01 अगस्त, 2013 को सम्पन्न बैठक में वितरित किया गया।

6. समिति ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि सदन के भीतर सदस्यों के आचरण से संबंधित नियम 'प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम' के अध्याय-XXI में वर्णित हैं :-

(i) नियम-261 - सभा में उपस्थिति के समय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम

(ii) नियम-262 - अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर सदस्य का बोलना

(iii) नियम-263 - सदन को सम्बोधित करने का ढंग

(iv) नियम-264 - बोलते समय पालनीय नियम

(v) नियम-265 - किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने के संबंध में प्रक्रिया

(vi) नियम-266 - प्रश्न अध्यक्ष के माध्यम से पूछे जायेंगे

(vii) नियम-267 - असंगति या पुनरावृत्ति

(viii) नियम-268 - वैयक्तिक स्पष्टीकरण

(ix) नियम-272 - अध्यक्ष को मौनपूर्वक सुना जाना

7. समिति ने यह महसूस किया कि सदन के बाहर उपराज्यपाल के सदन में अभिभाषण के दौरान, अध्ययन यात्रा के दौरान अथवा विदेश भ्रमण के दौरान सदस्यों के लिये अनुकरणीय आचार संहिता तैयार की जानी चाहिये। समिति ने सदस्यों द्वारा पालनीय सामान्य आचरण सिद्धान्तों को तय करने के साथ साथ उन पहलुओं पर भी आचार संहिता तैयार करने की आवश्यकता समझी जो कि 'प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम' में सम्मिलित नहीं है। तदनुसार,सदस्यों द्वारा अपेक्षित नैतिक आचरण को आचार संहिता के प्रारूप में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत रखा गया है।

8. समिति की बैठक आचार संहिता के प्रारूप को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से दिनांक 7 अगस्त, 2013 को सम्पन्न हुई। इस प्रक्रिया के दौरान सदस्यों ने विभिन्न राज्य विधान मंडलों से प्राप्त आचरण संबंधी नियमों पर विचार-विमर्श किया एवं अपने सुझाव व विचार व्यक्त किए, जिन पर समिति द्वारा विचार किया गया एवं स्वीकार किया गया।

9. आचरण समिति ने दिनांक 7 अगस्त,2013 को सम्पन्न अपनी बैठक में आचार संहिता के नियमों को अंतिम रूप दे दिया और आचरण समिति द्वारा इस प्रकार तैयार की गई आचार संहिता सदन के समक्ष विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

(डॉ. नरेन्द्र नाथ)
सभापति
आचारण समिति

DELHI LEGISLATIVE ASEMBLY
ETHICS COMMITTEE

FIRST REPORT

Ethics Committee of Delhi Legislative Assembly was constituted by the Speaker for the first time on 29.01.2010 on the recommendations of General Purpose Committee. It consisted of 9 Members including the Chairman. The Committee was thereafter reconstituted every year. The present Constitution of the Ethics Committee is as under:-

1.	Dr. Narender Nath	Chairman
2.	Sh. Mukesh Sharma	Member
3.	Sh. Nand Kishore	Member
4.	Sh. Vipin Sharma	Member
5.	Sh. Matin Ahmad	Member
6.	Dr. Harsh Vardhan	Member
7.	Sh. O.P. Babbar	Member
8.	Sh. Ravinder Nath Bansal	Member
9.	Sh. Ram Singh Netaji	Member

2. The Rules relating to its Constitution, Functions and Procedure were adopted by the House on 31.03.2010, after these were approved by the Ethics Committee and then by the Rules Committee of the House .

3. The Rule 235-B of Rules of Procedure and Conduct of Business of the Delhi Legislative Assembly mandated the Ethics Committee to frame Code of Conduct for the Members of this House. For convenience, the relevant portion of the said Rule is reproduced below:-

235-B Functions of the Committee :

The functions of the Committee shall be:-

(i) .....

(ii) .....

(iii) to frame rules specifying acts which constitute unethical conduct;

4. The Delhi Legislative Assembly Secretariat requested the Secretariat of the Houses of Parliament and different States and Union Territories of the country to make available the copies of the Code of Conduct, if any, framed by the Ethics Committee of respective Houses of Parliament, State Assemblies and Councils laying down therein the ethical principals for their Members. The Secretariat of Rajya Sabha and the Legislative Assembly of Kerala, Mizoram, Orissa, Assam, Jharkhand, and Chattisgarh supplied the copies of the Code of Conduct framed for the Members of their Houses. Our Ethics Committee studied the Code of Conduct of these Legislatures and also visited some of these states on Study Tour for better understanding of the actual operation of Code of Conduct framed by their respective Ethics Committees for regulating the conduct of the Members. The copies of the Code of Conduct received in our Assembly Secretariat from Rajya Sabha and different States were also circulated amongst the Members of our Ethics Committee for their perusal and consideration.

5. Based on general ethical principles incorporated in the Code of Conduct of different Legislatures, a draft Code of Conduct for the members of this House was prepared and was circulated to all the members of the Ethics Committee in it's meeting held on 1st August 2013.

6. The Committee also took note of the fact that conduct of the Members inside the House has been elaborated in the Rules of Procedure and Conduct of Business in CHAPTER-XXI in :-

(i) Rule 261- Rules to be observed by the members while present in the House;
(ii) Rule 262- Member to speak when called by the Speaker;
(iii) Rule 263- Mode of addressing the House;
(iv) Rule 264- Rules to be observed while speaking;
(v) Rule 265- Procedure for making allegations against any person;
(vi) Rule 266 - Questions to be asked through Speaker;
(vii) Rule 267 - Irrelevance or repetition;
(viii) Rule 268 - Personal explanation;
(ix) Rule 272 - Speaker to be heard in silence.

7. The Committee realized that it is imperative to lay down the Code of Conduct for the members when they are outside the House or during Lt. Governor's address or when they are on Study Tour or when they are visiting a foreign country and to also lay down general ethical principals to be observed by the members and also some aspects of the conduct inside the House which has not been touched by the Rules of Procedure and Conduct of Business. Accordingly the expectation of good conduct by the Members were laid down in the draft Code of Conduct under different Headings.

8. The Ethics Committee finally met on 7th August 2013 to finalize the draft Code of Conduct. During this process, the Members consulted the Code of Conduct prevailing in different Legislatures and made their own suggestion and observations which were considered by the Committee and were accepted.

9. The Ethics Committee finalized the Code of Conduct in its meeting held on 07.08.2013 and the Code of Conduct so finalized by the Ethics Committee is placed before the House for consideration and adoption.

(Dr. Narender Nath)
CHAIRMAN
ETHICS COMMITTEE

Dated :27th August, 2013

CODE OF CONDUCTS
FOR THE MEMBERS OF DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

CODE OF CONDUCTS OF MEMBERS INSIDE THE HOUSE :-

GENERAL RULES

1. A member, whilst the House is sitting, shall:-

(i) maintain the inviolability of the Question Hour;

(ii) refrain from transgressing into the table of the Speaker;

(iii) resume his seat as soon as the Speaker rises to speak;

(iv) keep to his usual seat while addressing the House.

(v) maintain silence when not speaking in the House;

2. A member, whilst the House is sitting, shall not :-

(i) sit or stand with his back towards the Chair;

(ii) wear or display badges of any kind in the House;

(iii) Exhibit, display or distribute within the precincts of the House any literature, questionnaire, pamphlets, press notes, leaflets/advertising material etc, not connected with the business of the House;

(iv) smoke, place his/her cap/hat on the desk in the House or enter the House with his/her coat hanging on the arms;

(v) tear off documents in protest;

(vi) remove or snatch any paper or document from the Chair or Minister or any other member of the House or Table functionaries of the House.

(vii) bring or play cassette or tape recorder in the House;

(viii) bring any article in the House to interrupt the proceedings.

(ix) sit on Satyagrah or Dharna inside the House or anywhere within the precincts of the House;

(x) pass between the Chair and any member who is speaking;

(xi) attempt to cause hurt or manhandle any other member;

(xii) raise a matter in the House without the permission of Speaker, if he/she wishes to point out any mistake or inaccuracy in statement made by a Minister or any other member. Before referring the matter in the House, he/she shall write to the Speaker pointing out the particulars of the mistake or inaccuracy and seek his permission to raise the matter in the House.

(xiii) take part in the proceedings or any matter if he/she has any personal, pecuniary or direct interest in a matter before the House, unless he/she has declared the nature of that interest.

CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS IN COMMITTEES

3. Where a member of a Committee has personal, pecuniary or direct interest in any matter which is to be considered by the Committee, he shall state his interest therein to the Speaker through the Chairman of the Committee.

4. Whenever a paper or document, marked 'secret' or "confidential" is circulated to the members of the Committee, the contents of such paper or document shall not be divulged by any member either in the minute of dissent or on the floor of the House, or otherwise, without the permission of the Speaker and where such permission has been obtained, any restriction imposed by the Speaker in regard to the manner in which, or the extent to which the information contained in the document may be divulged/revealed, shall be strictly observed.

5. The evidence given before a Committee shall not be published by any member of the Committee or by any other person until it has been laid on the Table.

CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS DURING Lt. GOVERNOR'S ADDRESS

6. If any member interrupts or obstructs the Lt. Governor's Address to the House either before or during or after the Address, while the Lt. Governor is in the House, with any speech or point of order or walk out or in any other manner, such interruption, obstruction or show of disrespect shall tantamount to an act of disrespect to the Lt. Governor and may be considered as a grossly disorderly conduct on the part of the concerned member/members and a contempt of the House which may be dealt with by the House subsequently on a motion moved by the member.

7. Member/Members, if desire to boycott the Lt. Governor's Address as a mark of protest they may do so by staging a walk-out immediately after the National Anthem is sung/played over and before the Lt. Governor rises to deliver the speech.

CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS DURING STUDY TOURS OR COMMITTEES

8. Committees should not normally undertake tours unless it is necessary to undertake an on-the-spot study tour for proper examination of the subject before the Committee.

9. Where a Committee proposes to undertake a tour, prior permission of the Speaker should be taken in all cases.

10. During the tours, Committees should avoid visits to places not included in the official tour programmes, except local sight seeing.

11. It is necessary that the expenditure on tours and strain on the local administration and transport authorities should be kept to the minimum.

12. Terms of reference of the Committees on study tours should be precise and laid down in writing.

13. If a Study Tour is connected with the evidence on any subject, it should be undertaken before the official evidence on the subject is taken by the Committee and not after the evidence.

14. Sufficient notice of the tour programme should be given to the State Govt./other Departments or Undertakings concerned.

15. Members during tours, shall take particular care to maintain proper dignity and decorum so that no criticism is made of the Committee in any manner.

16. During the tour, if a member falls ill and the doctor advise him not to undertake further tour, he shall follow the doctor's advice.

17. No member shall give press statements regarding Committee proceedings to press. Whenever any briefing of the press is required to be done the same should be done by the Chairman of the Committee.

18. Members shall not accept any costly gifts during the tour. Members can, however, accept inexpensive mementos connected with the organization visited.

19. The Committee or Sub-Committee or Study Group, while on tour, shall not accept any invitation for lunch or dinner or other hospitality that might be extended by any private party except with the approval of the Chairman. At the official lunches or dinners, if any, that might be accepted by the Committee or Sub-Committee or Study Group, generally no liquor should be allowed to be served.

20. An attendant or member's spouse may accompany a member with the prior permission of the Chairman of the Committee. In such cases, the member shall bear all expenses in respect of his/her spouse or attendant.

21. After completion of each tour, the Chairman of the Committee shall submit a report on the tour to the Speaker of the Assembly.

CODE OF CONDUCT DURING DELEGATIONS TO FOREIGN COUNTRIES

22. Member should adhere to protocol norms during the visits to foreign countries.

23. While participating in the international Conferences, members should follow rules, guidelines, conditions etc, as may be provided for in the Statures/Rules and /or as may be fixed by the organizers.

24. During visit of Legislative delegations to other counties, no member shall give press statements regarding visit. Whenever any briefing of the press is required to be done, the same shall be done by the leader of the delegation.

CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS OUTSIDE THE HOUSE

25. Information given to members in confidence or by virtue of their being members of Committees of Legislature shall not be divulged to anyone nor used by them directly or indirectly in the profession in which they are engaged, such as in their capacity as editors or correspondents of newspapers or proprietors of business firms and so on.

26. A member shall not try to secure business from Government for a firm, company or organization with which he is directly or indirectly concerned.

27. A member shall not give certificates which are not based on facts.

28. A member shall not make profit out of Government residence allotted to him by sub-letting the premises.

29. A member shall not unduly influence the Government officials or the Ministers in a case in which he is interested financially either directly or indirectly.

30. A member shall not receive hospitality of any kind or any gift of substantial value for any work that he desires or proposes to do from a person or organization on whose behalf the work is to be done by him.

31. A member shall not in his capacity as lawyer or a legal adviser or a counsel or a solicitor appear before a Minister or an Executive Officer exercising quasi-judicial powers.

32. A member shall not proceed to take action on behalf of his constituents on some insufficient or baseless facts.

33. A member shall not permit himself to be used as a ready supporter of anybody's grievances or complaints without verifying facts.

34. A member shall not endorse incorrect certificates on bills claiming amounts due to him.

35. A member shall return back to the government any item, furniture, vehicle, electronic gadget provided to him by the Government for official purposes within the time prescribed by the government on this behalf. He will also repay to the government the balance unpaid amount of an advance such as car advance, travel advance, medical advance etc as soon as the demand in this regard is received by him from the government failing which the current value of the item or balance unpaid amount of the advance shall be recovered from his salary or the pension as the case may be.

GENERAL ETHICAL PRINCIPLES WITH WHICH MEMBERS SHOULD ABIDE

36. Members must utilize their position to advance general well being of the people.

37. In case of conflict between the personal interest of members and public interest, they must resolve the conflict so that personal interest are subordinated to the duty of their public office.

38. Members shall resolve conflict between private financial interest/family interest and public interest in a manner that the public interest is not jeopardized.

39. Members holding public offices shall use public resources in such a manner as may lead to public good.

40. Members shall keep uppermost in their mind the fundamental duties listed in Part -IVA of the Constitution.

41. Members shall maintain high standards of morality, dignity, decency and values in public life.

PROCEDURE FOR DEALING WITH COMPLAINTS REGARDING BREACH OF CODE OF CONDUCT

42. The presiding officer or the House, as the case may be, suo motu take up for consideration cases of breach of the code that have taken place in the House.

43. In other cases the Speaker may refer complaints regarding violation of Code of Conduct to Committee on Ethics for examination and report thereon.

PUNISHMENT FOR BREACH OF CODE OF CONDUCT

44. In case of violation of the code of Conduct the Presiding officer or the House, as the case may be, impose any of the following punishment/penalties :-

(a) Admonition ;

(b) Reprimand ;

(c) Censure ;

(d) Withdrawal from the House ;

(e) Suspension from the service of the House for a specific period ; and

(f) Any other penal action considered appropriate by the House.

दिल्ली विधान सभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता

सदस्यों द्वारा सदन के अन्दर अपनाई जाने वाली आचार संहिता :

सामान्य नियम :

(1) जब सदन की बैठक चल रही हो, तो सदस्य को-

(i) प्रश्नकाल की मर्यादा सदन में बनाए रखें;
(ii) अध्यक्ष की मेज को नहीं लाघेंगे;
(iii) जब अध्यक्ष बोलने के लिए खडें होंगें तो अपना स्थान ग्रहण कर लेंगें;
(iv) सदन को संबोधित करते समय अपने सामान्य स्थान पर ही रहेंगे;
(v) जब सदन में नहीं बोल रहे हों, तो शांत रहेंगे;

(2) जब सदन की बैठक चल रही हो, तो सदस्य-

(i) अध्यक्ष के आसन की ओर पीठ करके न तो बैठेंगे न खड़ें होंगे;
(ii) सदन में किसी प्रकार के बिल्ले नहीं लगाएंगे या प्रदर्शित नहीं करेंगे;
(iii) सदन में ऐसे साहित्य, प्रश्नावली, पर्चें, प्रेस-नोट, इश्तहार इत्यादि का वितरण नहीं करेंगे जो सदन के कार्य से संबंधित न हों;
(iv) सदन में डेस्क पर अपना हैट/टोपी नहीं रखेंगे, सदन में धूम्रपान नहीं करेंगे या बाँह पर कोर्ट लटकाकर सदन में प्रवेश नहीं करेंगे;
(v) विरोध-स्वरूप दस्तावेजो को नहीं फाड़ेगे;
(vi) अध्यक्ष/मंत्री/सदस्य/अधिकारीगण से किसी भी प्रकार के कागज व दस्तावेज की छीना झपटी नहीं करेंगे;
(vii) सदन में कैसेट या टेप-रिकॉर्डर नहीं लाएंगे या बजाएंगे;
(viii) कार्यवाही में बाधा पहुंचाने वाले किसी भी सामान को सदन में नहीं लाएंगे;
(ix) सदन एवं सदन के आस-पास के स्थानों में सत्याग्रह या धरने पर नहीं बैठेंगे;
(x) अध्यक्षपीठ और ऐसे सदस्य के बीच में से जो भाषण दे रहे हों, नहीं गुजरेंगे;

(xi) किसी अन्य सदस्य को चोट नहीं पहुँचाएंगें अथवा हाथापाई करने का प्रयास नहीं करेंगे;

(xii) यदि कोई सदस्य किसी मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा दिए गए वक्तव्य में कोई गलती या अशुद्धि इंगित करना चाहता है तो मामले को सदन में लाने से पहले, अध्यक्ष को लिखित रूप में गलती या अशुद्धि का विवरण प्रस्तुत करना होगा तथा सदन में मामला उठाने के लिए उनकी अनुमति लेनी होगी;

(xiii) यदि किसी सदस्य का सदन के समक्ष किसी मामले में व्यक्तिगत, वित्तीय या प्रत्यक्ष हित है तो उस मामले पर कार्यवाही में भाग लेने से पहले, उसे अपने हित के संबंध में बताना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे मामलों पर कार्यवाही में सदस्य भाग नहीं ले सकेगा।

सदन की समितियों में सदस्यों के लिए आचार-संहिता

3. यदि किसी समिति के सदस्य का समिति द्वारा विचार किए जाने वाले मामले में व्यक्तिगत, आर्थिक या प्रत्यक्ष रूचि है, तो वह समिति के सभापति के माध्यम से अध्यक्ष के समक्ष ऐसी रूचि की अभिव्यक्ति करेंगे।

4. जब कभी भी समिति के सदस्यों को ऐसे कागजात या दस्तावेज वितरित किए जाते है जिन पर **गोपनीय** अंकित होता है, ऐसे कागजातों या दस्तावेजों की विषयवस्तु किसी सदस्य द्वारा असहमति के कार्यवृत्त या सदन के अंदर या किसी अन्य रूप में, अध्यक्ष की अनुमति के बिना उद्घाटित नहीं की जाएगी तथा जहाँ ऐसी अनुमति प्राप्त की गई है, अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में लगाया गया प्रतिबंध या दस्तावेज में वर्णित सूचना की मात्रा के रहस्योद्घाटन पर प्रतिबंध की सख्ती से पालना की जाएगी।

5. किसी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का समिति के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकाशन नहीं किया जाएगा, जब तक इसे सदन पटल पर न रख दिया जाए।

उप-राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदस्यों के लिए आचार-संहिता

6. यदि कोई सदस्य सदन में माननीय उप-राज्यपाल के अभिभाषण को अवरूद्ध करता है या बाधा डालता है, अभिभाषण से पहले या उसके दौरान या अभिभाषण के बाद, जब माननीय उप-राज्यपाल सदन में उपस्थित हों, किसी भाषण या व्यवस्था के प्रश्न द्वारा या बहिर्गमन करके या किसी अन्य तरीके से, ऐसी बाधा, अवरोध या असम्मान का प्रदर्शन माननीय उप-राज्यपाल के प्रति निरादर माना जाएगा तथा संबंधित सदस्य/संदस्यों की ओर से पूर्णत: अमर्यादित व्यवहार माना जाएगा तथा सदन की अवमानना माना जा सकता है जिस पर तदंतर किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के बाद सदन द्वारा विचार किया जाएगा।

7. यदि कोई सदस्य विरोध स्वरूप उप-राज्यपाल के भाषण का बहिष्कार करना चाहते है, तो वे, राष्ट्र-गान गाने/बजने के तुरंत बाद तथा उप-राज्यपाल द्वारा भाषण प्रारम्भ करने से पहले सदन से बहिर्गमन करके ऐसा कर सकते हैं।

विधानमंडल की समितियों के सदस्यों के लिए अध्ययन-भ्रमण के दौरान आचार-संहिता

8. समितियाँ सामान्य तौर पर अध्ययन भ्रमण नहीं करेगी, जब तक कि किसी समिति के समक्ष उठाए गए विषय की समुचित जांच के लिए ऐसा आवश्यक न हो।
9. यदि कोई समिति दौरा करना चाहती है, तो सभी मामलों में अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।
10. भ्रमण के दौरान समितियों को, केवल स्थानीय भ्रमण छोड़कर, ऐसे स्थान पर जाने से बचना चाहिए जो सरकारी दौरे में सम्मिलित न हो।
11. यह आवश्यक है कि दौरों पर हुआ खर्च तथा स्थानीय प्रशासन और परिवहन प्राधिकरणों पर भार न्यूनतम होना चाहिए।
12. अध्ययन दौरे पर जाने वाले, अध्ययन समूहों या उप-समितियों के टर्मज ऑफ रेफरेंस स्पष्ट तथा लिखित होने चाहिए।
13. यदि कोई अध्ययन भ्रमण दौरा किसी विषय के साक्ष्य से संबंधित हो तो यह दौरा समिति द्वारा इस विषय पर सरकारी साक्ष्य लेने के पहले किया जाना चाहिए न कि साक्ष्य के बाद।
14. राज्य सरकारों/अन्य विभागों या संबंधित उपक्रमों को भ्रमण कार्यक्रम की पर्याप्त पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।
15. भ्रमण के दौरान सदस्य उपयुक्त गरिमा तथा मर्यादा बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान रखेंगे ताकि समिति की किसी प्रकार से आलोचना न हो।
16. भ्रमण के दौरान, यदि कोई सदस्य बीमार हो जाता है तथा चिकित्सक उसे और आगे भ्रमण करने की सलाह नहीं देते है तो उसे चिकित्सक की सलाह माननी चाहिए।
17. कोई भी सदस्य समिति की कार्यवाही के संबंध में प्रेस को वक्तव्य नहीं देंगे। यदि कभी प्रेस को सूचना देने की आवश्यकता होगी तो ऐसा समिति के सभापति द्वारा किया जाएगा।
18. सदस्य भ्रमण के दौरान महँगे उपहार स्वीकार नहीं करेंगे। हालँकि सदस्य दौरा किए गए संस्थान से संबंधित साधारण स्मृति चिह्न स्वीकार कर सकते है।
19. भ्रमण के दौरान समिति या उप-समिति या अध्ययन समूह सभापति की अनुमति के बिना किसी निजी वर्ग द्वारा आयोजित भोजन या अन्य सम्मान का निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। सरकारी भोजन का निमंत्रण जो समिति या उप-समिति या अध्ययन समूह द्वारा स्वीकार्य हो, के दौरान सामान्यत: मदिरा परोसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

20. समिति के सभापति की पूर्व अनुमति से कोई सदस्य अपने साथ सहायक या अपने विवाहिती को साथ ले जा सकते है। ऐसे मामलों में, अपने विवाहिती या सहायक के संबंध में सभी खर्च सदस्य द्वारा ही वहन किए जाएंगे।
21. प्रत्येक भ्रमण पूरा होने के बाद, समिति के सभापति भ्रमण के संबंध में विधान सभा के अध्यक्ष को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों के लिए आचार-संहिता

22. विदेश भ्रमण के दौरान सदस्य प्रोटोकॉल नियमों का ध्यान रखेंगे।
23. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेते समय, सदस्यों को उन नियमों, दिशा-निर्देशों, शर्तों इत्यादि का पालन करना चाहिए जो विधि/नियमों द्वारा स्थापित हो तथा/या आयोजकों द्वारा निश्चित किए जाए।
24. दूसरे देशों में संसदीय प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा के दौरान, कोई सदस्य भ्रमण के संबंध में प्रेस वक्तव्य जारी नहीं करेंगे। यदि कभी प्रेस को सूचित करना आवश्यक हुआ तो ऐसा प्रतिनिधि मंडल के नेता द्वारा किया जाएगा।

सदन के बाहर सदस्यों के लिए आचार-संहिता तथा सामान्य आचरण सिद्धान्त

25. सदस्यों को गोपनीय रूप से उपलब्ध कराई गई सूचना या राज्य के विधान मंडल की समितियों के सदस्यों के रूप में उपलब्ध, सूचना किसी के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी, न ही उनके द्वारा इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यवसाय में उपयोग किया जाएगा जिसमें वे सलंग्न है, जैसे- समाचार-पत्रों के सम्पादक या संवाददाता के रूप में या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के स्वामी के रूप में इत्यादि।
26. कोई सदस्य किसी प्रतिष्ठान, कम्पनी या संगठन के लिए सरकार से कार्य प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा, जिसके साथ वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।
27. कोई सदस्य ऐसे प्रमाण-पत्र नहीं देगा जो तथ्यों पर आधारित न हों।
28. कोई सदस्य उसे आवंटित सरकारी आवास के परिसर को किराये पर देकर लाभ अर्जित नहीं करेगा।
29. कोई सदस्य सरकारी अधिकारियों या मंत्रियों को ऐसे मामले में अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय रूप से रूचि रखता हो।
30. कोई सदस्य किसी ऐसे कार्य के लिए, जिसे वह किसी व्यक्ति या संगठन से करवाता है और जिसके लिए कार्य उसके द्वारा किया गया है, से किसी प्रकार की आवभगत प्राप्त नहीं करेगा न ही कोई मूल्यवान उपहार स्वीकार करेगा।

31. कोई सदस्य वकील या वैधानिक सलाहकार या विधि परामर्शदाता या सॉलिसिटर के रूप में किसी मंत्री या अर्ध-वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले कार्यकारी अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होगा।
32. कोई सदस्य कुछ अपर्याप्त या आधारहीन तथ्यों के आधार पर अपने मतदाताओं की ओर से कार्यवाही करने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा।
33. कोई सदस्य तथ्यों की जाँच किए बिना किसी की पीड़ा या शिकायत के लिए तत्काल समर्थक के रूप में स्वयं को उपस्थित होने की अनुमति नहीं देगा।
34. कोई सदस्य अपने द्वारा देय राशि के संबंध में बिलों के लिए गलत प्रमाण-पत्र नहीं लगाएगा।
35. कोई सदस्य सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर सरकार द्वारा उसे सरकारी उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराया गया कोई सामान, फर्नीचर, वाहन व वैद्युत उपकरण आदि सरकार को वापस करेंगे। सदस्य वाहन अग्रिम भत्ता, अग्रिम यात्रा भत्ता, अग्रिम चिकित्सा भत्ते आदि की बकाया राशि सरकार से सूचना मिलने के तुरन्त बाद वापस लौटा देगा, ऐसा न करने पर सामान की तत्कालीन कीमत अथवा बकाया अदेय अग्रिम राशि को उनके वेतन अथवा पेंशन जैसी भी स्थिति हो, से काट दिया जाएगा।

सदस्यों द्वारा सामान्य आचरण सिद्धांतों का पालन

36. सदस्यों को अपने पद का उपयोग सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने हेतू करना चाहिए।
37. सदस्यों एवं जनता के हितों में विरोधाभास की स्थिति में इसका समाधान इस तरह से करना चाहिए कि जिससे सार्वजनिक/जनहित उनके व्यक्तिगत हितों से ऊपर रहें।
38. सदस्य व्यक्तिगत आर्थिक/पारिवारिक हितों एवं जनहित में विरोधाभास होने की स्थिति में समाधान करते समय जनहित की हानि का ध्यान रखेंगे।
39. सार्वजनिक कार्यालय संभालने वाले सदस्य सार्वजनिक साधनों का उपयोग जनहित में करेंगे।
40. सदस्य संविधान के भाग-4 ' क ' में दिए गए मूल कर्तव्यों को सर्वोपरि रखेंगे।
41. सदस्य अपने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, मर्यादा, शालीनता तथा मूल्यों के उच्च स्तर को बनाए रखेंगे।

आचार-संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया

42. पीठासीन अधिकारी या सदन, जैसी भी स्थिति हो, सदन में आचार-संहिता के उल्लंघन के मामलों पर विचार करने के लिए स्वतः संज्ञान ले सकेंगे।

43. दूसरे मामलों में अध्यक्ष आचार-संहिता से संबंधित मामलों को जाँच तथा रिपोर्ट के लिए आचरण समिति को सौंप सकते है।

आचार संहिता के उल्लंघन पर दंड

44. आचार-संहिता के उल्लंघन के मामले में, पीठासीन अधिकारी या सदन, जो भी स्थिति हो, निम्नलिखित सजा/दंड लागू कर सकते है:-

(क) चेतावनी;

(ख) फटकार;

(ग) कड़ी आलोचना;

(घ) सदन से निष्कासन;

(ङ) निश्चित अवधि के लिए सदन से निलंबन; और

(च) ऐसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई जो सदन द्वारा उचित समझी जाए।